

मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड-डिफेंस पर चर्चा

► पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दूरभाष पर हुई बात

► दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर नहीं बनी सहमति

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 30 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फ़िट्रिकल टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग को समीक्षा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत को सार्थक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई. इनमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां शामिल रहें. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी विचार-विमर्श किया. बातचीत ऐसे समय हुई है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को लेकर वार्ता जारी है. भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत होनी है. दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है.



रक्षा और ऊर्जा सहयोग भी भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं. दोनों देशों ने हाल के वर्षों में रक्षा तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है. जून 2026 में फ्रांस के एवियन में जी -7 शिखर सम्मेलन के दौरान भी मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक तकनीकों समेत द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की थी.

पीयूष गोयल ने बताया कि फोन पर हुई ताजा बातचीत में दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े प्रयासों पर भी चर्चा की. दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई. इस बातचीत को भारत-अमेरिका संबंधों में जारी उच्चस्तरीय संपर्क के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, प्रधानमंत्री की ओर से जारी जानकारी में बातचीत के दौरान किसी नए व्यापार समझौते, शुल्क में बदलाव या किसी विशेष रक्षा सौदे की घोषणा नहीं की गई है. फिलहाल दोनों देशों का जोर मौजूदा सहयोग को आगे बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में करीबी संपर्क बनाए रखने पर है.

पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं : सुको

► बेरियम और डेसिबल मानक तय करेगा कोर्ट

► 4 घंटे की अनुमति से इनकार, पर पूरी तरह रोक नहीं

नई दिल्ली, 30 सितंबर. दिवाली से पहले पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पूरे देश में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने पर विचार नहीं किया जा रहा है.

अदालत ने कहा कि इस मामले में धार्मिक भावनाओं, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के बीच संतुलन बनाया जरूरी है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पटाखे जलाने की 24 घंटे की अनुमति

नहीं दी जा सकती. अदालत अब यह तय करने पर विचार करेगी कि दिवाली के दौरान पटाखे किस समय और किस तरह के इस्तेमाल किए जा सकेंगे. जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा समाधान तलाशना होगा, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी हो और बुजुर्गों, बच्चों तथा बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को भी कम किया जा सके. कोर्ट ने संकेत दिया कि पटाखे जलाने के लिए एक निश्चित समय तय किया जा सकता है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत से 15 अक्टूबर तक का समय मांगा.

► एक नजर में

सीडब्लूसी बैठक में थरूर पर खरगे की चुटकी

नई दिल्ली. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद शशि थरूर के बीच हल्का-फुल्का संवाद चर्चा में रहा. बैठक में विरोध प्रदर्शन और रैलियों के आयोजन को लेकर चर्चा के दौरान थरूर ने सुझाव दिया कि कार्यक्रम 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती के दिन आयोजित किए जाएं. थरूर के सुझाव पर खरगे ने उनकी ओर इशारा करते हुए मुस्कुराकर कहा कि उन्हें भी कार्यक्रम में जरूर शामिल होना चाहिए. खरगे ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसा न हो कि थरूर सिर्फ अखबारों में लेख लिखते रहें और पार्टी के लोग उन्हें अगले दिन अखबार में पढ़ें. इस टिप्पणी पर थरूर ने सिर हिलाकर सहमति जताई.

महिला कर्मियों को हटाने पर पैट्रिक ब्रैंको छोड़ेंगे पद

नई दिल्ली. पेरिस के मशहूर एफिल टावर में हिंदू धार्मिक संगठन बीएपीएस के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को हटाने के विवाद में बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है. एफिल टावर का संचालन और देखरेख करने वाली कंपनी सोसिएटे डी एवसलॉयटेशन डे ला टूर एफिल के डायरेक्टर जनरल पैट्रिक ब्रैंको रुइबो साल के अंत तक अपना पद छोड़ देंगे. जांच में 5 सितंबर को हुई घटना से जुड़ी व्यवस्थागत और कामकाज की कई खामियां कर्मचारियों को दौरे से दूर रखने की स्थिति गंभीर व्यवस्थागत कमियों की वजह से पैदा हुई थी और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. पैट्रिक ब्रैंको रुइबो 2018 के अंत से एसईटीई के एपीएस के प्रतिनिधिमंडल ने एफिल टावर का दौरा किया था. इस दौरान प्रबंधन की ओर से महिला कर्मचारियों को प्रतिनिधिमंडल से दूर रहने के निर्देश दिए गए.

हस्तियों के टवीट

भाजपा सांसद और उद्योगपति नवीन जिवंद ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की भूमिका को लेकर सोशल मीडिया लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे स्थान होने चाहिए, जहां हर औसत छात्र को अपनी क्षमता विकसित करने और बेहतर जीवन बनाने के लिए आवश्यक अवसर एवं मार्गदर्शन मिल सके. नवीन जिवंद ने अपने पोस्ट में कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना भी होना चाहिए.

अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में सोशल मीडिया लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म 'मुसीबत को मुसीबत में न डालें' देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया साझा की. उन्होंने फिल्म की कहानी, प्रस्तुति और कलाकारों के अभिनय की जमकर सराहना की. अनुपम खेर ने अपनी पोस्ट में फिल्म को 'शानदार और पूरा अनुभव' बताते हुए लिखा कि यह बेहद अच्छी तरह से बनाई गई और खुशनुमा फिल्म है. उन्होंने कहा कि फिल्म मनोरंजन के साथ-साथ दिल को छू लेने वाली भी है. फिल्म में शुरुआत से लेकर अंत तक एक खास तरह की आत्मीयता और अपनापन महसूस होता है.

अमेरिकी सुको ने अन्य देशों में डिपोर्टेशन को दी हरी झंडी

25 हजार प्रवासी 29 देशों में भेजे गए

नवभारत न्यूज नेटवर्क वाशिंगटन, 30 सितंबर. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को प्रवासियों को उनके मूल देश के बजाय किसी तीसरे देश में भेजने की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है.

जारी किए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी, जिसके तहत ट्रंप प्रशासन की इस नीति को रोक दिया गया था. ट्रंप प्रशासन की इस नीति के तहत ऐसे प्रवासियों को उनके मूल देश के बजाय किसी अन्य देश भेजा जा सकता है, जहां उन्हें तत्काल वापस भेजना संभव नहीं है. इस फैसले के बाद मेक्सिको समेत अफ्रीकी देशों में प्रवासियों को भेजे जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है.



प्रवासी अधिकार संगठनों के अनुसार, अब तक करीब 25 हजार प्रवासियों को 29 अलग-अलग तीसरे देशों में भेजा जा चुका है. इनमें बड़ी संख्या में लोगों को मेक्सिको भेजे जाने की बात कही गई है, जबकि कुछ प्रवासियों को अफ्रीकी देशों में भी भेजा गया है. प्रवासी अधिकार संगठनों का कहना है कि किसी व्यक्ति को तीसरे देश भेजने से पहले उसे पर्याप्त समय और अवसर मिलना चाहिए, ताकि वह यह बता और साबित कर सके कि वहां उसे उतपीड़न, हिंसा या यातना का खतरा हो सकता है. निचली अदालत ने प्रक्रिया को लेकर ट्रंप प्रशासन की नीति पर रोक लगाई.

ईडी छापे में फर्जी सीएसआर रैकेट में करोड़ों का शक

► 4 राज्यों में 8 जगह की एकसाथ छापेमारी

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 30 सितंबर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी सीएसआर डोनेशन रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर में एक साथ छापेमारी की.

ईडी के मुंबई जोन की ओर से की गई इस कार्रवाई में चार राज्यों के कुल आठ ठिकानों को जांच के दायरे में लिया गया. तलाशी अभियान के दौरान बाजार



संचालकों, ट्रस्टियों और बिचौलियों से जुड़े परिसरों की जांच की गई. शुरुआती जांच में सैकड़ों करोड़ रुपये के सीएसआर नेटवर्क के संकेत मिले हैं. जांच एजेंसी का आरोप है कि कुछ ट्रस्टों का इस्तेमाल कंपनियों से मिलने वाली अनिवार्य सीएसआर राशि को वापस उन्हीं दानदाताओं तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था. आरोप के मुताबिक, कंपनियों की सीएसआर रकम पहले ट्रस्टों को दी जाती थी और इसमें से कमीशन काटने के बाद बड़ी राशि दोबारा संबंधित

सरकार बनी तो पंजाब होगा नशामुक्त

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव से पहले बड़ा एलान



का सफर तय किया. शाह का यह बयान भाजपा की चार 'नशामुक्त पंजाब यात्राओं' के समापन के मौके पर आया. रैली में शाह ने पंजाब के युवाओं में नशे की समस्या को राज्य के विकास से जोड़ते हुए कहा कि जब तक पंजाब का युवा नशे से मुक्त नहीं होगा, तब तक राज्य का पूर्ण विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि पंजाब देश के लिए अनाज पैदा करने वाले किसानों और सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों की धरती रहा है, लेकिन

ट्रंप ने सुंदर पिचाई को कहा मॉन्स्टर

गुगल सीईओ ने दिया मजेदार जवाब, वीडियो हुआ वायरल

वाशिंगटन, 30 सितंबर (एजेंसी). अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और गुगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच व्हाइट हाउस में हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

ट्रंप ने पिचाई की तारीफ करते हुए उन्हें अचानक 'मॉन्स्टर' कह दिया. पिचाई ने भी इस टिप्पणी का हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया. 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि 'यह आदमी मॉन्स्टर है और कोई इन्हें जानता तक नहीं. ट्रंप की टिप्पणी के बाद सुंदर पिचाई ने मुस्कुराते हुए कहा उम्मीद है कि यह टैगलाइन 'मैं



मॉन्स्टर हू' से बेहतर होगी. व्हाइट हाउस में हुई बैठक में गुगल के सुंदर पिचाई, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, निविदा के जेन्सेन हुआंग, अश्वोपिक के डारियो अमोडेई और ओपनएआई के ग्रेग ब्रॉकमैन समेत अन्य टेक्नोलॉजी अधिकारी शामिल थे. बैठक के दौरान प्रमुख एआई कंपनियों ने एक स्वीच्छिक समझौते पर सहमति जताई.

एलपीयू हिंसा पर हाईकोर्ट सख्त

पंजाब सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नवभारत न्यूज नेटवर्क चंडीगढ़, 30 सितंबर. पंजाब के फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शन का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है.

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने सरकार से पूछा है कि हिंसा के मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. मामले कीकर्ता की ओर से एलपीयू की स्थिति और उसके स्थान को लेकर भी दलीलें दी गईं. याचिकाकर्ता ने कहा कि एलपीयू



पंजाब की बड़ी यूनिवर्सिटीज में शामिल है और नेशनल हाईवे के पास स्थित है. टीम ने करीब 300 सोशल मीडिया पोस्ट और लिंक को फ्लैग किया है. पुलिस का कहना है कि इनमें कुछ ऐसे वीडियो हैं, जिनमें मौके की वास्तविक स्थिति से अलग तस्वीर पेश किए जाने और जांच से जुड़े तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाने का आस भेजा गया है.

आज का इतिहास

- 1687: मुगल सम्राट औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर कब्जा किया.
- 1938: म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी की मांग के आगे झुकते हुए चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेन क्षेत्र को हटिलर को सौंप दिया.
- 1947: पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने.
- 1954: विषय की पहली परमाणु पनडुब्बी, यूएसएस नॉटिलस को अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया.

अरब सागर में 3000 करोड़ की ड्रग्स जल्ट

इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस का एक्शन

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 30 सितंबर. इंडियन कोस्ट गार्ड ने नशीले पदार्थों की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने आगे बताया, 'पक्की जानकारी मिलने पर, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र के सटीक निगरानी की और 25 सितंबर 2026 को ईरान की एक संदिग्ध नाव का लगातार पीछा करते हुए उसे रोका और फिर उस पर चढ़ाई की. इस ऑपरेशन में लगभग 526 किलोग्राम उच्च

संदिग्ध नाव का लगातार पीछा करते हुए उसे रोका और फिर उस पर चढ़ाई की. इस ऑपरेशन में लगभग 526 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले नशीले पदार्थ हेरोइन और मेथामफेटामाइन जब्त की गई है. जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है. यह जब्तो ऐसे समय में हुई है जब सुरक्षा एजेंसियां समुद्री रास्ते से होने

पांच पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

इंडियन कोस्ट गार्ड ने न सिर्फ नशीला पदार्थ जब्त किया, बल्कि नाव चला रहे पांच पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा. पकड़ी गई नाव, उसके चालक दल और जब्त किए गए नशीले पदार्थों को हथियारों से लैस सुरक्षा के बीच मुंबई ले जाया गया है. इस मामले में कई एजेंसियां मिलकर संयुक्त पुछताछ करेंगी, जिससे कानूनी कार्रवाई की जा सके.

वाली अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी को रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रही हैं.

चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 से हटाया अनुबंध-डी

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 30 सितंबर. वोटर एनरोलमेंट फॉर्म-6 से जुड़े विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है.

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ऑनलाइन फॉर्म-6 के साथ जुड़ा अतिरिक्त घोषणापत्र यानी अनुबंध-डी अब नहीं देना होगा. चुनाव आयोग ने इसे ईसीआईएनईटी ऐप और पोर्टल के अलावा संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट से भी हटा दिया है.

अब इन क्षेत्रों में नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले

लोगों को सिर्फ 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूलस, 1960' के तहत निर्धारित कानूनी फॉर्म-6 भरना होगा. चुनाव आयोग के मुताबिक, अनुबंध-डी की जरूरत केवल एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान थी. इस घोषणापत्र में नए आवेदकों को खुद को या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी/नाना-नानी को पहले हुए इंटेंसिव रिविजन के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची से जोड़ने संबंधी जानकारी देनी होती थी. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभी चल रहा है, वहां यह अतिरिक्त प्रक्रिया ईसीआईएनईटी पर उपलब्ध रहेगी.

फटकार

आपराधिक मामले की जांच में अनियमितताओं पर यूपी पुलिस को लताड़

एफआईआर देख भड़का सुप्रीम कोर्ट, लगाई कड़ी फटकार

नवभारत न्यूज नई दिल्ली, 30 सितंबर. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक एफआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाई.

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने एक आपराधिक मामले की जांच में अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर इसी तरह से मामलों को संभाला जाएगा तो लोग पुलिस पर भरोसा कैसे करेंगे. कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि इससे तो अच्छा है कि हम यूपी पुलिस को ही खत्म कर दें और उसकी सभी जांचों में सीबीआई



को शामिल करने के लिए कहें. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया गया, जिसे शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले किया था. एफआईआर में आरोपी की जगह 'अज्ञात' लिखा गया था. वहीं बाद में हाईकोर्ट के दखल के बाद पुलिस की ओर से दाखिल दस्तावेजों में उसी

मोटरसाइकिल सवार का नाम सामने आया. इसके बाद उसे जांच में वक्तोी चिट् दिए जाने की बात भी कोर्ट के सामने रखी गई.

सुप्रीम कोर्ट के सामने शिकायतकर्ता ने दावा किया कि घटना के बाद उसने मोटरसाइकिल सवार को खुद पकड़ लिया था और उसे पुलिस के हवाले किया था.

इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की और आरोपी वाले कॉलम में नाम नहीं लिखा. बेंच ने इसी बिंदु पर यूपी पुलिस के वकील से सवाल किया कि जब व्यक्ति मौके पर पकड़ा गया था तो एफआईआर में उसे अज्ञात क्यों बताया गया.

हर चीज में आपका कोई न कोई एजेंडा

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आपका हर काम में किसी न किसी तरह का एजेंडा दिखाई देता है. कोर्ट ने सवाल किया कि अगर पुलिस इसी तरह मामलों को आगे बढ़ाएगी तो जनता उस पर भरोसा कैसे करेगी. बेंच ने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि यूपी पुलिस की सभी जांचों में सीबीआई को शामिल कर दिया जाए. इस दौरान कोर्ट ने बेहद कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में तो उत्तर प्रदेश पुलिस को ही भंग कर दिया जाए और सभी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए. इस मामले में फिलहाल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की सभी जांच सीबीआई को सौंपने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है.

विदेशी शासकों के शासन से जुड़े पहलुओं पर भी जोर

नई पाठ्यपुस्तक में मुगल सहित विभिन्न विदेशी शासकों से जुड़े अध्याय भी रखे गए हैं. हालांकि, इन अध्यायों में साम्राज्य विस्तार के बजाय कर व्यवस्था, बाजार, भूमि प्रबंधन और प्रशासन जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया गया है. इस तरह पुस्तक में भारतीय इतिहास के अलग-अलग पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया गया है. कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई के स्वरूप में भी बदलाव किया गया है. पहले चार अलग-अलग हिस्सों में पढ़ाए जाने वाले विषयों को अब दो पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है. भाग दो में प्राचीन इतिहास के साथ आधुनिक भारत से जुड़े विषयों को भी स्थान दिया गया है. इनमें नई शिक्षा नीति, खेलों इंडिया, स्टार्टअप और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं.